न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील 12/2023 **दायर दिनांकः 20.11.2023**

उनवान

1. गुमानसिंह पुत्र ओंकारलाल उर्फ ओंकारसिंह जाति सौंधिया राजपूत निवासी आन्याखेड़ी तहसील पिड़ावा
2. मांगुबाई बैवा ओकारलाल उर्फ ओंकारसिंह जाति सोधिया राजपूत निवासी आन्याखेड़ी तहसील पिड़ावा

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्यामुबाई पत्नी कालूसिंह जाति सौंधिया राजपूत नि. आन्याखेड़ी तहसील पिडावा
2. राजाबाई पुत्री भगवानसिंह जाति सौंधिया राजपूत नि. आन्याखेड़ी तहसील पिडावा
3. गंगाबाई बैवा भगवानसिंह जाति सौंधिया राजपूत नि. आन्याखेड़ी तहसील पिडावा
4. ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा तहसील पिड़ावा

– रैस्पोंडेन्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रैवन्यू एक्ट बाबत निरस्त करने नामान्तकरण संख्या 411 दिनांक 05.10.2021 ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा तहसील पिड़ावा

उपस्थिति अभिभाषक :–

अभिभाषक अपीलांटस :– श्री मसूद अहमद खान

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस सं. 1 व 3 :– श्री रमीज रजा कुरेशी

रेस्पोडेन्टस सं. 2 व 4 :– एकतरफा

<u>आदेश</u> दि[illegible].03.2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:54 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि माननीय अ[illegible] ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा नामातंकरण संख्या 411 ग्राम आन्या[illegible] दिनांक 05.10. 2021 को तस्दीक किया गया है जो विधि तथा लैण्ड रैवन्यु एक्ट के

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड (राज.)

7 से 12 तक का प्रावधिष्टया सर्व–सम्मति से स्वीकार है आंकत किया है। जबकि

प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। माननीय अधिनस्त ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा तह० पिड़ावा ने मनमाने तरीके से ग्राम आन्याखेड़ी की आराजी खाता संख्या 39 की 5/32 हिस्सा खाता संख्या 40 की 5/36 हिस्सा एवं खाता संख्या 143/41 की 25/144 हिस्सा का बैचान दिनांक 21.09.2021 को रैस्पोंडेन्स नं. 1 श्यामुबाई को करना हल्का पटवारी ने उनकी रिपोर्ट दिनांक 21.09.2021 में बताया है। भू-अभिलेख निरक्षिक ने भी दिनांक 28.09.2021 में अंकन किया है तथा सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा ने नामांतकरण जैर अपील के उनके आदेश दिनांक 05.10.2021 को कालम न. 7 से 12 तक की प्रविष्टिया सर्व सम्मति से स्वीकार है अंकित किया है। जबकि विधि सम्मततरीके से कोरम का गठन ही नहीं किया गया किसी भी सरपंच को अकेले नामांतकरण तस्दीक करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस तरह से नामांतकरण जैर अपील रद्ध होने व निरस्त होने योग्य है। माननीय अधिनस्त ग्राम पंचायत की सरपंच जिन्होने नामांतकरण जैर अपील के निर्णय दिनांक 05.10.2021 में किसनका नाम से हस्ताक्षर किये है जो संधिन्ध है केवल हल्का पटवारी एवं भू-अभिलेख निरक्षिक की राय के आधार पर किसी भी सरपंच को नामांतकरण तस्दीक किये जाने की अधिकारिता नहीं होती है। बल्कि समस्त पक्षकारान को नोटिस देकर उनको पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है मगर अधिनस्त ग्राम पंचायत की सरपंच ने अपीलान्ट को सुनवाई व जवाब देही का अवसर ही नहीं दिया। इसलिए नामांतकरण जैर अपील ज्युडीशियल नहीं होने से रद्ध होने योग्य है। वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट नं. 1 की माता अपीलान्ट नं. 2 करीब 80 साल की बुजुर्ग महिला है जो लगभग 4 साल से लकवे की बिमारी से ग्रसित है। फिर भी रैस्पोन्ड नं. 1 श्यामुबाई के पति कालूसिंह पुत्र भैरुसिंह ने षड्यन्त्र रचकर दुषित प्रक्रिया से आराजी का हस्तांतरण करवा कर रैस्पोन्डस नं. 1 श्यामुवाई का नाम खाता संख्या 143 में 133/288 खाता संख्या 39 में श्यामुबाई का नाम 5/32 [illegible] चाह में श्यामुबाई का नाम 5/36 दर्ज करवा लिया। [illegible] बंटवारे में खसरा नं. 93, 94 जिसका कुल रकबा 0.4825 है [illegible] बिस्वा आराजी अपीलान्ट नं. 1 और उसकी माता अपीलान्ट नं. 2 के [illegible]से में आई जिस पर उनका कब्जा रहा है। अपीलान्ट नं. 1 ने 10 बिस्वा आराजी का बैचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रेशम बाई पत्नी नेपालसिंह को कर दिया बाकी 6 बिस्वा आराजी अपीलान्ट नं. 1 के कब्जे काश्त में है। जिसकी जानकारी समस्त ग्राम वासियान हल्का पटवारी कानूनगो को भी है मगर रैस्पोन्ड नं. 1 श्यामुबाई के पति कालूसिंह ने षड्यन्त्रपूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार करवा कर दुषित व कूटरचित दस्तावेज की सहायता से ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा की सरपंच से अनुचित तरीके से नामांतकरण जैर अपील स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में श्यामुबाई का नाम दर्ज करवा लिया जो अकृत व शुन्य है तथा रिकार्ड से हटाये जाने योग्य है। नामांतकरण जैर अपील संदिग्ध होने से रद्ध होने योग्य है। रैस्पोन्ड नं. 1 श्यामुबाई व उसका पति कालूसिंह अपीलान्ट से उनकी 6 बिस्वा आराजी का कब्जा छीनने पर तत्पर है जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है। अपीलान्ट नं. 2 लकवे की बिमारी से ग्रसित है। उसने किसी तरह का बैचान नही किया है। उसको रैस्पोन्ड नं. 1 या उसके पति कालूसिंह ने किसी तरह की प्रतिफल राशि अदा नहीं की है। मगर अधिनस्त ग्राम पंचायत की सरपंच ने सत्यता जानने का प्रयास नहीं किया ना ही कोई तहकिकात की तथा बिना कोरम के कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण किये बगैर रैस्पोन्ड नं. 1 और उसके पति के प्रभाव में आकर नामांतकरण जैर अपील तस्दीक कर दिया जो कानून सम्मत नहीं होने से खारीज होने योग्य है। नामांतकरण जैर अपील की जानकारी रैस्पोन्ड नं. 1 श्यामुबाई द्वारा अपीलान्ट नं. 1 के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के न्यायालय वाद पेश करने व उसके समन प्राप्त होने उसके पश्चात नातांतकरण और अपील की नकल निकलाने पर दिनांक 30.10.23 को होने से अपील अवधिमध्य प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र कानून मियाद अपील के साथ अलग से प्रस्तुत है। अपील उचित न्यायशुल्क पर व माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। नामांतकरण जैर अपील पूनः तहकीकात का मोहताज है। अन्य कारण बहस के समय मौखिक निवेदन किये जावेंगे। अतः अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मय खर्चा स्वीकार फरमायी जाकर नामांतकरण जैर अपील संख्या 411 ग्राम आन्याखेड़ी तह० पिड़ावा दिनांक 25.1[illegible]21 [illegible] सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा तह० पिड़ावा द्वारा स्वीकार व तस्दीक किया गया है को रद्ध किया जाकर उसके आधार पर की गई समस्त प्रक्रिया रद्ध की जाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

एवं प्रकरण पूनः जांच व तहकिकात हेतु ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा को लोटाये जाने की कृपा की जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडैटस सं. 1 व 3 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपील के पैरा नं. 1 में वर्णित नामान्तरण संख्या 411 दिनांक 05.10.2021 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया जाना स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। यह कि अपील के पैरा नं. 2 में वर्णित ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा मनमाने तरीके से ग्राम आन्याखेड़ी की आराजी खाता संख्या 39 का 5/32 हिस्सा, खाता संख्या 40 का 5/36 हिस्सा, खाता 143/41 का 25/144 हिस्से का बैचान दिनांक 21.09.2021 को रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्यामुबाई को करना हल्का पटवारी ने उनकी रिपोर्ट में दिनांक 21.09.2021 को बताया जो गलत होने से अस्वीकार है क्योकि दिनांक 18.08.2021 को अपीलान्ट नं. 1 व 2 ने आराजी का बैचान रेस्पोडेन्ट नं. 1 को किया है न की ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा ने। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। यह कि अपील का पैरा नं. 3 गलत तथ्यो पर आधारित होने से अस्वीकार है। यह कि अपील के पैरा नं. 4 में अपीलान्ट नं. 2 के लकवे की बिमारी ग्रसित होना अस्वीकार है क्योकि अगर वो लकवे की बिमारी से ग्रसित होती तो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपील कैसे पेश कर सकती है। यह भी अस्वीकार है कि कालुसिंह ने षड़यंत्र रचकर आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली हो। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। यह कि अपील का पैरा नं. 5 गलत तथ्यो पर आधारित होने से अस्वीकार है। यह कि अपील के पैरा नं. 6 में अपीलान्ट नं. 1 ने स्वयं स्वीकारा है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्यामुबाई ने अपीलान्ट के विरुद्ध माननीय न्यायालय में धारा 188, 209 आर०टी०एक्ट का वाद पेश किया है इस कारण अपील पेश की गई है। यह कि अपील का पैरा नं. 7 अस्वीकार है। यह कि अपील का पैरा नं. 8 अस्वीकार है। अन्त में चाही गई प्रार्थना में अपील संख्या 411 व दिनांक 25... गलत होने से अस्वीकार है। **विशेष कथनः—** यह कि ग्राम आन्याखेड़ी ... पिड़ावा की आराजी खाता संख्या 39, 40 व खाता संख्या 143 की आराजी का बैचान अपीलान्ट नं. 2 मांगुबाई पत्नी ओंकारलाल, रेस्पोडेन्ट नं. 2 राजाबाई पुत्री भगवान व रेस्पोडेन्ट नं. 3 गंगाबाई पत्नी भगवान ने रेस्पोडेन्ट नं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

श्यामुबाई पत्नी कालुसिंह के नाम विधि सम्मत तरीके से बैचान रजिस्ट्री दिनांक 18.08.2021 तथा अपीलान्ट नं. 1 गुमानसिंह पिता ओंकारसिंह व ऐलकारसिंह पिता इन्दरसिंह ने आराजी खाता संख्या 143 खसरा नं. 342, 347, 361, 364, 369, 379 कुल किता 6 कुल रकबा 0.8472 है0 में ऐलकारसिंह का 1/8 हिस्सा व अपीलान्ट नं. 1 गुमानसिंह का 47/144 का 1/2 हिस्सा यानी 47/288 इस प्रकार कुल रकबा 0.8472 है0 की बैचान रजिस्ट्री रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्यामुबाई के पक्ष में दिनांक 18.08.2021 को कराई जिसके बाद कब्जा हस्तांतरण किया तथा इसका नामान्तरण संख्या 411 दिनांक 05.10.2021 को विधि सम्मत तरीके से तस्दीक किया गया। रैस्पोडेन्ट नं. 1 ने तो खातेदारी में नाम दर्ज होने का प्रमाण पत्र राजस्व रेकार्ड से प्राप्त किया उसके बाद बयनामा तस्दीक करवाया है। यह कि अपीलान्ट नं. 1 ने दिनांक 07.02.2022 को रेस्पोडेन्ट नं. 2 के पति कालुसिंह के पक्ष में खाता संख्या 143 खसरा नं. 342, 347, 361, 364, 369, 379 कुल किता 6 कुल रकबा 0.8472 है0 का 47/288 हिस्सा व खाता संख्या 40 खसरा नं. 368 रकबा 0.0379 है० का 1/12 हिस्सा का बैचान किया है इन बैचान–पत्र के अलावा भी अन्य कई बैचान–पत्र किये है इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट का मक्सद इस अपील की आड़ में रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्यामुबाई व उसके पति कालुसिंह का जबरन परेशान करना है। यह कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट नं. 1 व उसके पति कालुसिंह को बैची गई आराजी तथा नामान्तकरण संख्या 411 दिनांक 05.10.2021 के तस्दीक होने के लगभग 3 वर्ष बाद अपील पेश की है। अपीलान्ट ने ना तो सिविल कोर्ट में इन रजिस्ट्रीयों को कैंसल कराने का दावा पेश किया और ना ही अन्य कोई दावा माननीय न्यायालय में पेश किया है। अपीलान्ट नं. 1 व उसके पुत्र ने रेस्पोडेन्ट नं 1 व उसके पति की आराजी को जबरन डरा धमका कर आराजी पर कब्जा करना चाहते थे तथा आराजी छीनना चाहते थे। इस कारण रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने इनके विरुद्ध [illegible] 188, 209 आर०टी०एक्ट का पेश किया जो प्रति[illegible] विचाराधिन है। इन सबसे यह स्पष्ट है कि [illegible] पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 को परेशान करना चाहता है इस कारण अपीलान्ट की अपील खारीज होने योग्य है। यह कि अपीलान्ट नं. 2 मांगुबाई ने आराजी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

बैचानकर्ता राजाबाई व गंगाबाई को अपीलान्ट के रुप में दर्ज न करते हुए रेस्पोडेंट नं. 2 व 3 के रुप में दर्ज किया है तथा अपीलान्ट नं. 1 गुमानसिंह ने अपने द्वारा बेची गई आराजी का पूरी अपील में कही भी उल्लेख नहीं किया है इससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों की आड़ लेकर माननीय न्यायालय को गुमराह किया तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 को परेशान करने की नीयत यह अपील पेश की गई है। इस कारण यह अपील खारीज होने योग्य है। अतः जवाब अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा गलत व मनघड़ंत तथ्यो के आधार पर पेश की गई अपील को खारीज किया जावे तथा अपीलान्ट से हर्जा खर्चा भी रेस्पोडेन्ट को दिलाया जावे।

3. रेस्पोडैटस सं. 2 व 4 बावजूद सूचना अनुस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 24.12.2024 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

4. अपीलांटस की ओर से अपील के समर्थन में ग्राम आन्योखडी की वादग्रस्त आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.08.2021 की छायाप्रति, पेश की।

5. रेस्पो क्रम 1 व 3 की ओर से जवाब के समर्थन में ग्राम आन्योखडी नामान्तरण संख्या 411 दिनांक 05.10.2021 की छायाप्रति, गुमानसिंह, मांगुबाई के आधारकार्ड की छायाप्रति पेश की।

6. सब्जेक्ट टू लिमिटेशन अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस अपील सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम आन्याखेड़ी ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा तहसील पिड़ावा की आराजी खसरा नं 93 रकबा 0.0126 है0 व खसरा नं 94 रकबा 0.4679 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4805 है0 मे से गंगा बाई का हिस्सा 1/16, मांगुबाई हिस्सा 1/32 व सजनबाई हिस्सा 1/16 कुल हिस्सा 5/32 एवं खसरा नं 368 रकबा 0.0379 [illegible] मे से गंगा बाई का हिस्सा 1/18, मांगुबाई हिस्सा 1/36 व सजनाबाई हिस्सा 1/18 कुल हिस्सा 5/36 तथा खसरा नं 342 रकबा 0.1012 है0, [illegible] नं 347 रकबा 0.2403 है0, खसरा नं 361 रकबा 0.0885 है0, खसरा नं 364 रकबा 0.0126

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

है0, खसरा नं 369 रकबा 0.0379 है, खसरा नं 379 रकबा 0.3667 है0 कुल किता 06 कुल रकबा 0.8472 है0 मे से गंगा बाई का हिस्सा 5/72, मांगुबाई हिस्सा 5/144 व राजाबाई हिस्सा 5/72 कुल हिस्सा 25/144 को बेचान अप्रार्थी संख्या 01 श्यामू बाई को किया गया था, जिसका नामान्तरण संख्या 411 दिनांक 05.10.2021 ग्राम पंचायत गोविंदपुरा द्वारा गैर कानूनी रूप से बिना कॉरम के निर्णित किया गया था । अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा आगे तर्क किया गया कि उक्त नामान्तरण का निर्णित करते समय कॉरम की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। विक्रेतागण को कोई नोटिस जारी नहीं किए गए थे। सरपंच द्वारा चुपचाप ही कूटरचित रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण दर्ज कर दिया गया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य है। **अपीलांट्स ग्रामीण क्षैत्र के गरीब व अनपढ होने से देरी से पेश की गई अपील का प्रार्थना पत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।**

7. अभिभाषक रेस्पोडेंटस सं. 1 व 3 द्वारा पूरजोर विरोध कर तर्क किया गया कि कथन किया कि ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 18.08.2021 के आधार पर कॉरम की बैठक में उक्त नामान्तरण संख्या 144 दिनांक 05.10.2021 को हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर निर्णित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटी नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज करते समय विक्रय पत्र की जांच करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। यदि विक्रय पत्र कूटरचित है तो अपीलांट्स को सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। आगे तर्क किया कि कुल 03 विक्रेताओं में से केवल 01 मांगू बाई द्वारा ही बदनियत से अपिल की गई है, शेष 02 विक्रेताओं को बेचान नामान्तरण पर कोई आपत्ति नहीं है। अपीलांट नं0 01 का वादग्रस्त आराजी के बेचान से कोई लेना देना नहीं है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा इस न्यायालय में प्र[illegible] 108/2023 उन्वान श्यामू बाई बनाम गुमान सिंह [illegible] करने के बाद [illegible]डेंट पर दबाव बनाने के लिए करीब 03 वर्षों के बाद [illegible] नामान्तरण आदेश की अपील दायर की गई है जो समय अवधि से बाहर होने से खारिज किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

8. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस अपील के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम आन्योखडी के नामा.सं. 411 दिनांक 05.10.2021 के अवलोकन से ग्राम आन्याखेडी के खाता सं0 39 किता 02, खाता सं0 40 किता 01 व खाता सं0 143 किता 06 में सहखातेदार मांगु बाई पत्नी औंकारलाल, राजा बाई पुत्री भगवान सिंह व गंगा बाई पत्नी भगवान सिंह द्वारा किए गए बेचान पत्र क्रमांक 202103285101676 दिनांक 18.08.2021 के आधार पर हल्का पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक गैलानी के अंकन के आधार पर ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा की कॉरम द्वारा सर्वसम्मति से नामान्तरण संख्या 144 को स्वीकार किया जाना जाहिर होता है। रेस्पोडेंट द्वारा पेश रजिस्टर्ड बेचान पत्र क्रमांक 202103285101676 दिनांक 18.08.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम आन्याखेड़ी ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा तहसील पिड़ावा की आराजी खसरा नं 93 रकबा 0.0126 है0 व खसरा नं 94 रकबा 0.4679 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4805 है0 मे से गंगा बाई का हिस्सा 1/16, मांगुबाई हिस्सा 1/32 व राजाबाई हिस्सा 1/16 कुल हिस्सा 5/32 एवं खसरा नं 368 रकबा 0.0379 है0 मे से गंगा बाई का हिस्सा 1/18, मांगुबाई हिस्सा 1/36 व राजाबाई हिस्सा 1/18 कुल हिस्सा 5/36 तथा खसरा नं 342 रकबा 0.1012 है0, खसरा नं 347 रकबा 0.2403 है0, खसरा नं 361 रकबा 0.0885 है0, खसरा नं 364 रकबा 0.0126 है0, खसरा नं 369 रकबा 0.0379 है, खसरा नं 379 रकबा 0.3667 है0 कुल किता 06 कुल रकबा 0.8472 है0 मे से गंगा बाई का हिस्सा 5/72, मांगुबाई हिस्सा 5/144 व राजाबाई हिस्सा 5/72 कुल हिस्सा 25/144 को बेचान अप्रार्थी संख्या 01 श्यामू बाई को किया गया था और इसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अधार पर नामान्तरण संख्या 411 निर्णित किया गया है। **यह सही है कि किसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अधार पर नामान्तरण दर्ज करते समय ग्राम पंचायत को बेचान पत्र की जांच करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है** इस द्वारा ग्राम **पंचायत की कॉरम** दिनांक 05.10.2021 की बैठक कार्यवाही रजिस्टर की कोई प्रति पेश नहीं की गई है जिससे यह जाहिर हो सके कि सरपंच द्वारा **बिना कॉरम की बैठक** आयोजित किए नामान्तरण निर्णित किया है। यह **साबित करने के बाद** अपीलांट्स तथा जिसमें वे विफल रहे है। अपीलांट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

(12)

द्वारा कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा कूटरचित रजिस्ट्री के आधार पर यह नामान्तरण निर्णित किया गया है। लेकिन अपीलांट्स ने ना तो उक्त रजिस्ट्री को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौति दिए जाने का दस्तावेज पेश किया है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे यह रजिस्ट्री कूटरचित साबित हो सके। तीनों विक्रेताओं में से केवल एक विक्रेता अपीलांट द्वारा नामान्तरण को अविधिक बता कर 02 वर्षों बाद अपील करना भी अपीलांट की मंशा को संदेहप्रद बनाता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित नामान्तरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोई विधिक त्रुटी साबित नहीं होती है।

9. इस न्यायालय में वादग्रस्त आराजी को लेकर लंबित अन्य प्रकरण संख्या 108/2023 उन्वान श्यामू बाई बनाम गुमान सिंह दिनांक 05.09.2023 को दर्ज हुआ था। जिसके करीब दो माह बाद अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील दायर की गई है जिससे भी अपीलांट की मंशा संदेहप्रद प्रतित होती है।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा तस्दीक नामा.सं. 411 दिनांक 05.10.2021 के विरूद्व पेश अपीलांट की अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट. खारिज किए जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

—::क्रियात्मक आदेश::—

11. परिणामतः अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 खारिज की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:54 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner